42

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 24–दो/2006 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 30–12–2005 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 112/2004–05 अपील

1– मुन्नेश सिंह 2– रामऔतार 3– कोकसिंह
4– अजबसिंह 5– ओंकार सिंह जाति वघेले
निवासी ग्राम गुलालपुरा तहसील व जिला भिण्ड ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– मथुराप्रसाद पुत्र टिकोले बघेले
निवासी ग्राम गुलालपुरा तहसील भिण्ड ----असल अनावेदक
2– रामऔतार 3– रामेहत 4– राजाराम
पुत्रगण निरंजन बघेले ग्राम गुलालपुरा
तहसील व जिला भिण्ड --फार्मल अनावेदक

(आवदेकगण के अभिभाषक श्री एस.के.शर्मा)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 3 – 10 –2016 को पारित)

यह निगरानी — अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 112/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–12–205 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि भूमिस्वामी तेज सिंह, शिवसिंह, हुकुम सिंह से अनावदेक रामऔतार , रामेहत, राजाराम ने ग्राम सगरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 70 रकबा 0.303 है.

बंदोवस्त के वाद सर्वे कमांक 59 रकबा 0.30 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 17-1-1981 से कय की एंव कय उपरांत केताओं का नामांत्रण हुआ। अनावेदक मथुराप्रसाद पुत्र टिकोले ने तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि पर कब्जा दर्ज करने की मांग की, जिस पर अपर तहसीलदार वृत्त उमरी ने प्रकरण कमांक 10/99-2000 अ-6-अ पंजीबद्ध किया एंव आदेश दिनांक 24-8-2000 पारित करके वादग्रस्त भूमि कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 35/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनॉक 10-7-02 से अपील बेरूम्याद मानकर निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 194/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनॉक 20-9-2002 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित हुआ। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 20-5-2005 पारित किया तथा अपर तहसीलदार वृत्त उमरी के प्रकरण कमांक 10/99-2000 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 24-8-2000 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 112/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-12-205 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुये अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 24-8-2000 को स्थिर रखा गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण को बार-बार सूचना पत्र भेजे जाने एंव सूचना पत्रों के सम्यक निर्वहन की जानकारी के अभाव में पॅजीकृत डाक से सूचना भेजी गई, इसके वाद भी अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के आदेश दिनांक 20-5-2005 को इसलिये निरस्त किया है और आदेश के पद 5 में विवेचना की है कि :-

" विवादित भूमि पर अपीलार्थी का पूर्व से कब्जा दर्ज चला आ रहा है जेसाकि खसरा पंचशाला संबत 2041 लगायत 2046 के अवलोकन से स्पष्ट है। अपीलार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा छूट जाने के वाद उसने विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें सुधार किये जाना आवश्यक होने से विचारण न्यायालय व्दारा मौके की स्थल जांच रिपोर्ट व पंचनामा एंव साक्षियों और मौजा पटवारी के कथन के मुताविक विचारण न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त उमरी ने अपीलार्थी का विवादित भूमि कब्जा इन्द्राज करने संबंधी आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी का विवादित भूमि पर पूर्व से चला आ रहा कब्जे का इन्द्राज बिना किसी आदेश के छूट जाने संबंधी त्रृटि को दुरूस्त करने में कोई भूल नहीं की है। "

अपर आयुक्त चंम्बल संभाग व्दारा आदेश दिनांक 30-12-2005 में उक्तानुसार की गई विवेचना एंव निकाले गये निष्कर्ष से प्रतीत होता है कि अपर तहसीलदार वृत्त उमरी ने प्रकरण कमांक 10/99-2000 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 24-8-2000 से वादग्रस्त भूमि के खसरे में कोई नवीन प्रविष्टि नहीं की है

अपितु पूर्व चली आ रही प्रविष्टि छूट जाने से दुरूस्ती वावत् आदेश पारित किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 30-12-2005 से अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के त्रृटिपूर्ण आदेश दिनांक 20-5-2005 को निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 112/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-12-2005 उचित पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं । अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर